# जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर जिला

## दूरभाष संख्या 0291–2545850

क्रमांकः–एफ /स्टोर/नवीन क्रय/2026/161-162 दिनांक :-18/07/2026

बोली आमंत्रण सूचना 5–6/2026–27

जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र के नव सृजित अधिनस्थ न्यायालय "सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेरगढ" के लिए निम्न सामग्री उपापन किये जाने के लिये वर्णित विषय वस्तु के लिए वस्तु एवं सेवा कर में पंजीकृत है, मुहरबंद बोली (तकनीकी एवं वित्तीय) निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है मुहरबंद बोली प्रपत्र दिनांक 27.07.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिवस को अपरान्ह 4.00 बजे खोली जायेगी ।

| Bid Notic No. | Particular | Estimated Valule | Qty | Bid Fees | Bid Security | Delivery Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/26-27 | Supply & Installation of Desktop ,UPS, Printer | 2.80 Lac | 4 | 400/- | 5600/- | 20 Days |
| 6/26-27 | Supply & Installation & Commissioning of Split Air Conditioner | 1.00 Lac | 2 | 200/- | 2000/- | 20 Days |

1. बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल ("http:// sppp.rajasthan.gov.in) और district.ecourts.gov.in/jodhpur पर देखा जा सकता है। बोली निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी ।
2. बोली से सबंधित नियम, शर्त एवं बोली प्रपत्र किसी भी कार्यालय दिवस में जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर जिला, ओल्ड हाईकोर्ट कैम्पस, जोधपुर के यहॉ अवलोकन किया जा सकता है। बोली प्रपत्र राज्य लोक उपापन पोर्टल ("http://sppp.rajasthan.gov.in) से डाउन लोड किया जा कर निर्धारित बोली प्रपत्र एवं बोली प्रतिभूति राशि एवं समस्त दस्तावेजों के साथ मुहरबंद बोली निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्रस्तुत की जा सकेगी, तत्पश्चात बोली स्वीकार नही की जायेगी। प्राप्त बोली निर्धारित दिनांक एवं समय को उपस्थित बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी । बोली प्राप्ति एवं खोलने के दिन सार्वजनिक अवकाश या अन्य कोई राजकीय अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस पर बोली प्राप्त एवं खोली जायेगी।
3. बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोली पर कोई विचार नही किया जावेगा। बोली प्रपत्र शुल्क अप्रतिदाय (Non-Refundable) होगा ।
4. बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि डिमान्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक District and Session Court, Jodhpur District, Jodhpur के पक्ष में देय होगा। बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के डिमान्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक पृथक–पृथक तैयार कराये जायेगें।
5. किसी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।
6. बोली प्रपत्र में अंकित शर्तो के अतिरक्ति किसी प्रकार की कोई शर्त अंकित न की जावे । सशर्त बोली स्वीकार नही की जावेगी
7. तकनीकी बोली में क्वालिफाईड/सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी ।

अध्यक्ष, क्रय समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर जिला

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर जिला
## बोली प्रपत्र (BID FORM)

| Sr. No | Particular | To be filled by Bidder |
|---|---|---|
| 1. | Bid Title | **Bid for Supply & Installation of Computer and Single Function Laser Printer at Civil Judge & Judicial Magistrate, Shergarh.** |
| 2. | Bid Estimated Vale | **2,80,000** |
| 3. | Name of Court where material is to be supplied (F.O.R. Destination) & Supply Period | **Civil Judge & Judicial Magistrate, Shergarh Within 20 days from supply order.** |
| 4. | Name of Court for which Bid is to be submitted | **District & Session Judge, Jodhpur District, Old High Court Campus, Jodhpur.** |
| 5. 6. 7. | Bidder Status (Proprietorship firm/ Partnership firm/Company) | |
| | **Legal Entity:-**<br><br>1. In case of Bidder status is Proprietorship Firm | Registered in Rajasthan Shops and Commerical Establishments ACT 1958 or any other Act of State/ Union, as applicable for dealing in the subject matter of procurement (Note: A self-certified declaration regarding the non applicability of registration to any Act should be submitted by the bidder)<br>( Self Attested Copy enclosed) |
| | 2. In case of Bidder status is Partnership Firm | Registered in The Indian Partnership Act, 1932 and Registered Parternship Deed<br>( Self Attested Copy enclosed) |
| | 3. In case of Bidder status is Company | Registered in The Indian Company Act, 1956<br>( Self Attested Copy enclosed) |
| | Name of Bidder Firm | |
| | Bidder Firm's Regd.Office Address. | |
| 8. | Communication address for correspondence | |
| 9. | Telephone No. & Whatsapp No. and Email.Address | Telephone No.----------<br>Whatsapp No.----------<br>Email.Address---------- |

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

| | | |
|---|---|---|
| 10. | Bid Fees (Non Refundable) Rs. 400/- in name of District & Session Cour, Jodhpur District. | Banker Cheque/DD No. ---------- dt---------- |
| 11. | Bid Security Rs.5600/- in name of District & Session Cour, Jodhpur District. | Banker Cheque/DD No. ----------dt.---------- |
| 12. | Bidder PAN No. ( Self Attested Copy enclosed) | |
| 13. | Bidder GST No. ( Self Attested Copy enclosed) | |

14. केवल मैन्युफेक्चरिंग यूनिट में बोली आईटम के लिए सार्वधिक लोकप्रिय ब्रांड (Most Popular Brand) पंजिकृत निर्माता कम्पनी द्वारा प्रोड्क्ट की ही बोली प्रस्तुत की जायेगी। स्थानीय स्तर पर ऐसेम्बलड रूप से तैयार प्रोडेक्ट इत्यादि (Assembled Product etc.) की बोली स्वीकार नही कि जायेगी।
15. जिस निर्माता कम्पनी के Make and Model की बोली प्रस्तुत की गई है, उस का सर्विस सेंटर जोधपुर शहर पर स्थित है।
16. हमारे द्वारा जिस आईटम की बोली प्रस्तुत की गई है, उस आईटम के Brochure & Catalog of Make and Model, जिसमें आईटम का पूर्ण विवरण दर्शाया गया है, बोली के साथ सलंग्न है।
17. हमारे द्वारा जिस Make and Model की बोली प्रस्तुत की गई है, वह वर्तमान में अप्रलचित (obsolete/out of dated/dead Stock ugh gS rFkk Spares parts in Rajasthan and Period of back to back support,updates and patches:- Next 07 Years तक उपलब्ध रहेंगे।
18. हम माल की सुपुर्दगी क्रय आदेश जारी होने की दिनांक से 20 दिवस के भीतर एफ.ओ.आर. सबंधित न्यायालय, जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई है, पर पूर्ण करने के लिए सहमत है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा निर्धारित सुपुर्दगी अवधि में आपूर्ति पूर्ण कर दी जायेगी।
19. हमने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो, विनिर्देशों, आकार मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है तथा बोली भरने से पूर्व कार्यालय में उपलब्ध सैम्पल का अवलोकन कर लिया गया है तथा उसी के अनुरूप बोली प्रस्तुत की जायेगी। यदि इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्र, विभागीय सैम्पल आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह होगा, तो वह बोली प्रस्तुत करने/संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे उपापन संस्था से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जायेगा।
20. मैं/हम उपापन संस्थान द्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सभी शर्तो से तथा सलंग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त बोली आमंत्रण सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। बोली की समस्त वर्णित नियम एवं शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप विभाग द्वारा जारी बोली दस्तावेजों को हस्ताक्षरित कर दिए है तथा विभाग द्वारा बोली से सबंधित किसी भी प्रकार की सूचना WhatsApp or E-Mail or Text Message पर दी जायेगी, जिस पर कार्यवाही करने के लिए सहमत है।

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

**बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील**

S.R. 16

# कार्यालय जिला एवं सैशन न्यायालय, जोधपुर
## General terms & conditions of Bid & Contract

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, जिसे आगे "अधिनियम 2012" तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013, जिसे आगे "नियम 2013" कहा गया है, द्वारा जारी अधिसूचना,, विभागीय संहिताएँ, निर्देशिकाएँ, उपविधिया, शासकीय ज्ञापन या परिपत्र, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें। बोलीदाताा को अधिनियम एवं नियम की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त अधिनियम एवं नियम में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "अधिनियम" एवं "नियम" के प्रावधान ही मान्य होगें।

2. बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढना चाहियें तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहियें। अगर निविदादाता को निविदा कि शर्तो या विशिष्टताओं, जो निविदा में दिये गये है, के बारे में किसी प्रकार का निर्वचन (Interpretation) /आशय के संबंध में कोई संदेह हो, तो निविदा भरने से पूर्व उपापन संस्था को पत्र प्रस्तुत कर स्पष्टीकरण (Clarification) प्राप्त कर लेना चाहिये तथा उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा तथा बोलीदाताा जिसे स्वीकार करने के लिये बाध्य रहेगा।

3. बोली प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नही किया जायेगा। बोलीदादाता बोली के निविदा के प्रत्येक पृष्ट पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त निबंधनों एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर मय मोहर अंकित करेगा।

4. **बोलीदाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बोली पृथक–पृथक लिफाफें में प्रस्तुत कि जायेगी। बोली दस्तोवज (Bid Fees, Bid Security, Bid Form, All Self Attested Documents, General Terms & Conditions, Technical Specification & Compliance Sheet with Brochure & Catalog of Make and Model, All Annexures & Undertaking & Affidavit, Check List) जो तकनीकी बोली के साथ सलंग्न किये जाने है, उन्हे Technical Envelope 'A' में तथा वित्तीय बोली प्रपत्र, जिसमें दरे अंकित कि जावेगी, को Finacial Envelope 'B' में सील बन्द किया जायेगा। तकनीकी एवं वित्तीय बोली लिफाफे को एक बडें लिफाफे में रख कर सील बंद किया जायेगा। तीनो लिफाफों पर कार्य का नाम, कार्यालय का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई है एवं बोली सूचना संख्या अंकित कि जावे। वित्तीय लिफाफे में वित्तीय निविदा ही रखी जावे अन्य कोई प्रपत्र नही रखा जावे। तकनीकी प्रस्ताव के साथ वित्तीय प्रस्ताव भी दिया जाता है तो उसकी बोली निरस्त कर दी जावेगी।**

5. बोली, विहित प्रपत्र के अतिरिक्त अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत की गई बोलियों पर उपापन संस्था द्वारा विचार नही किया जायेगा। कार्यलय द्वारा ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नही करेगा, जो बोली प्रस्तुतीकरण के लिए नियत दिनांक और समय के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हो। कोई भी बोली, जो बोली के प्रस्तुतीकरण के लिए अंतिम समय सीमा के पश्चात कोरियर/डाक द्वारा पहुंची हो, को विलंब से प्राप्त के रूप में चिह्नित और घोषित किया जा कर, बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोलीदाता को लौटा दी जायेगी।

6. बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ण रूप से भरी गई बोली यथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ यथोचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद कर **अध्यक्ष, क्रय समिति, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर जिला, ओल्ड हाईकोर्ट कैम्पस, पावटा, जोधपुर** के पते पर निर्धारित समय तक जमा करा सकेगें/प्रेषित कर सकेगें। मुहरबंद बोली लिफाफे पर **Bid for Supply of .....and Bid Notice No ..... & Dated .....** आवश्यक रूप से अंकित की जावे।

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

7. प्राप्त बोली को निर्धारित दिवस पर उपस्थित बोलीदाता अथवा उसके प्रतिनिध के समक्ष विभागीय उपापन समिति द्वारा खोला जायेगा। सर्वप्रथम तकनीकी बोली खोली जायेगी। तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी, जिसके लिये बोलीदाता को जरिये Mobile/WhatsApp/Email द्वारा सूचित किया जायेगा। निर्धारित समय में कोई बोलीदाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नही होने पर विभाग की गठित उपापन समिति द्वारा बिना उसका इंतजार किए निर्धारित समय पर खोली जावेगी। राज.लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उप नियम 51(2) के अनुसार बोली को प्रस्तुत करने या खोलने की अंतिम दिनांक को कार्य दिवस नही है तो बोली अगले कार्य दिवस पर प्राप्त या खोली जायेगी। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता है तो आगामी कार्य दिवस को बोली खोली जायेगी।

8. वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीयनः– कोई भी बोलीदाता यदि उस राज्य में प्रचलित जहॉ उसका व्यवसाय स्थित है, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है तो वह बोली नही देगा। इस सबंध में पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा पंजीयन की स्वः प्रमाणित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत की जायेगी। इसके अभाव में बोली को रद्द कर दिया जायेगा।

9. **दरे (Rates)** :–

   1) शब्दों एवं अंकों दोंनो में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियों एवं/या उपरिलेखन नही होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियॉ करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में सभी प्रकार के करों को पृथक से दिखाना चाहिए।

   2) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।

   3) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

   4) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नही होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

   5) बोली में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के लिए ही एक ही दर प्रस्तुत की जावेगी । एक से अधिक दर देने तथा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अतिरिक्त अन्य स्पेसिफिकेशन के लिए दी गई दरों पर विचार नही किया जावेगा।

   6) बोलीदाता द्वारा बोली में किसी आईटम के लिए दर प्रस्तुत नही करना चाहता है तो तकनिकी एवं वित्तीय बोली में Rate Not Quoted अंकित करावे।

   7) दरे गन्तव्य स्थान सबंधित न्यायालय जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई है, के लिए एफ. ओ.आर उद्धत की जानी चाहिए तथा अनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु किसी भी प्रकार के करों को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गाडी भाडें (कार्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नही किया जाएगा ।

10. **वित्तीय बोलीयों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** (Correctin of arithmetic errors in financial bids):– बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
न्यायालय, जोधपुर

1) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

2) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और

3) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

11. बोलीदादाता अपनी बोली या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौप सकेगा और नही किसी को आगे सब लेट कर सकेगा।

12. **बोलियों की विधिमान्यता की कलावधि** (Period of validity of Bids):—

1) बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी । किन्तु उपापन की प्रकृति के आधार पर यह अधिक भी हो सकती है। लघुत्तर कालावधि के लिए विधिमान्य कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी के रूप में उपापन संस्था द्वारा अस्वीकार की जायेगी ।

2) बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि के अवसान के पूर्व, उपापन संस्था आपवादिक परिस्थितियों में, बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समायावधि के लिए बोली की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी । बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृत बोली प्रत्याहरण के रूप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति समपहृत नही की जायेगी ।

3) ऐसे बोली लगाने वाले जो उनकी बोली की विधिमान्यता की कालावधि के विस्तार से सहमत होते हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूतियों की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करेंगे या विस्तार करायेंगे या उनकी बोली की विधिमान्यता की विस्तारित कालावधि को आवृत करने के लिए नयी बोली प्रतिभूतियां (Bid Securities) प्रस्तुत करेंगे। कोई बोली लगाने वाला जिसकी बोली प्रतिभूति विस्तारित नहीं की जाती है या जिसने नयी बोली प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की है, इसे उसकी बोली की विधिमान्यता की कालावधि के विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जाना माना जायेगा।

13. **बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन ओर उपान्तरण** (Withdrawal, Substitution and modifications of Bids ) :—

1) बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात्, उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित नोटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। **नोटिस** –

a) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये और इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "प्रत्याहरण", "प्रतिस्थापन" या "उपान्तरण" अंकित हो ; और

b) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम समय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाल दिया जाये।

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

2) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

3) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

14. **मूल्यांकन की कसौटी**:– बोली की मूल्यांकन कसौटी हेतु उपापन समिति द्वारा सामग्री क्रय का निर्णय गुणवत्ता एवं स्पेसिफकेशन पूर्णता के आधार पर प्रत्येक आईटम वाईज वित्तीय परिणामों एवं नमूना परीक्षण सहित गुणवत्ता पर आधारित होगा। उपापन समिति द्वारा सामग्री के भौतिक निरीक्षण/परीक्षण उपरान्त क्रय बाबत निर्णय लिया जावेगा। दर मूल्यांकन का विश्लेषण प्रत्येक आईटम वाईज अलग–अलग सर्वाधिक गुणवत्ता एवं न्यूनतम दरों के आधार पर किया जावेगा। अगर किसी आईटम की न्यूनतम दर एक से अधिक आने पर जिस न्यूनतम सफल बोलीदाता का आईटमों के लिए प्रस्तुत बोली मूल्य अधिक होगा, उसके पक्ष में आदेश जारी करने का समिति द्वारा निर्णय किया जायेगा।

15. **सैम्पल (Sample)**:–

1) उपापन समिति द्वारा सामग्री के भौतिक परिक्षण हेतु सामग्री के सैम्पल प्रस्तुत करने का अनुरोध जरिये Mobile/WhatsApp/Email द्वारा करने पर निर्धारित दिवस में जिला न्यायालय के परिसर में बोलीदाता को स्वंय के व्यय पर उपलब्ध/प्रस्तुत करवाना होगा। समिति द्वारा सैम्पल का तकनीकी एवं गुणवत्ता पैरामीटर के आधार पर भौतिक निरीक्षण करेगी। अगर कोई सैम्पल पैरामीटर को पूर्ण नही करती है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत बोली को अयोग्य घोषित किया जायेगा। यदि कोई बोलीदाता भौतिक परिक्षण हेतु सामग्री के सैम्पल प्रस्तुत नही करता है तो उसे भी अयोग्य घोषित कर बोली प्रतिभूति राशि को समपहृत (Forefeit) किया जा सकेगा। सर्वप्रथम न्यूनतम बोलीदाता या सभी सफल बोलीदाताओ को सैम्पल प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जायेगा।

2) सैम्पल के प्रतिधारित (Retained) के दौरान किसी प्रकार की क्षति/हानि के लिए कार्यालय उत्तरदायी नही होंगा।

3) भौतिक निरीक्षण/परिक्षण के लिए प्रस्तुत सामग्री के सैम्पल अनुमोदन पश्चात अनुमोदित सैम्पल कार्यालय में रोका जायेगा तथा पूर्ण सप्लाई के पश्चात 15 दिवस में बोलीदाता द्वारा अपने स्वंय के व्यय पर वापस लिया जायेगा। अगर निर्धारित अवधि में सैम्पल को वापस नही लिया जाता है, तो उन्हे कार्यालय द्वारा समपहृत (Forefeit) किया जा सकेगा तथा उनकी लागत के लिये किसी भी दावे को स्वीकार नही किया जायेगा।

4) भौतिक निरीक्षण/परिक्षण के लिए प्रस्तुत सामग्री के सैम्पल जिसे समिति द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत नही किया गया है, कि सूचना जरिये Mobile/WhatsApp/Email द्वारा करने पर 03 दिवस में अपने स्वंय के व्यय पर वापस लिया जायेगा। अगर निर्धारित अवधि में सैम्पल को वापस नही लिया जाता है, तो उन्हे कार्यालय द्वारा समपहृत (Forefeit) किया जा सकेगा तथा उनकी लागत के लिये किसी भी दावे को स्वीकार नही किया जायेगा।

5) बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना सैम्पल पर सैम्पल मद का क्रमांक एवं नाम, साईज,समुचित स्पेसिफिकेशन, फर्म का पूर्ण पता तथा सैम्पल प्रस्तुत करने कि दिनांक यथा आवश्यक विवरण कागज पर अंकित कर सुरक्षित रूप से बांधकर/चिपकाकर, उसे उपयुक्त रूप से चिन्हित किया जावेगा समान/समकक्ष सेम्पल से अदला बदल नही हो सके।

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

16. **स्पेसिफिकेशन ( Specification):–**

1) बोलीदाता द्वारा अंकित स्पेसिफिकेशन/अनुमोदित सैम्पल के अनुसार ही सामग्री का प्रदाय किया जावेगा तथा प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुए बोली एवं शर्तो से सबंधित निर्धारित स्पेसिफिकेशन/अनुमोदित सैम्पल के पूर्णतया अनुरूप होगी। जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

2) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुऐ निर्धारित स्पेसिफिकेशन/अनुमोदित सैम्पल के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी तथा बोलीदाताओं को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा। अगर फिर भी बोलीदाता निर्धारित स्तर की वस्तु प्रदाय नही करता है तो उपापन समिति स्थानीय बाजार से निर्धारित स्तर की वस्तु क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगी एवं अन्तर राशि बोलीदाता द्वारा भुगतान की जायेगी या प्रतिभूति राशि अथवा बिल से समायोजित की जावेगी।

3) यदि बोलीदाता किसी अनुमोदित आईटम को सप्लाई करने में किसी भी कारण से असमर्थ है तो उसके समकक्ष या अन्य मेक का आईटम उपापन समिति के अनुमोदन के पश्चात बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यदि बोलीदाता अनुमोदित सामग्री प्रदाय नही करता है तो उपापन समिति स्थानीय बाजार से उक्त या उसके समकक्ष बाजार में उपलब्ध अन्य मेक की सामग्री क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगी एवं अन्तर राशि बोलीदाता द्वारा भुगतान की जायेगी या प्रतिभूति राशि अथवा बिल से समायोजित की जावेगी।

4) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा । 15 दिवस के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूला जावेगा। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 दिवस पश्चात बोलीदाता द्वारा विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के सबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

5) **वांरटी एवं गांरटी का खंड**:– बोलीदाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुए खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से बोली में अंकित अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवतता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि वांरटी एवं गांरटी की अवधि में, उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नही पाया गया या वे समाप्त हो गये है (तथा उस सबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम परिणामी होगा),तो केता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नही पाये जाएंगें, रद्द करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे केता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लधंन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगी।

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

17. **निरीक्षण एवं परीक्षण (Inspection/Testing):–**

1) उपापन समिति या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रदायकर्त्ता के परिसर में कार्य आदेश के तहत तैयार कि जा रही सामग्री का किसी भी समय पर निरिक्षण कर सकता है।

2) बोलीदाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम एवं वर्कशाप का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वंय उपस्थित नही रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यास्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क किया जा सके।

3) सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जा सकेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नही। अगर उपापन समिति उपापन सामग्री का परीक्षण पंजीकृत प्रतिष्ठित संस्थाओं में करवाया जा सकेगा तथा परीक्षण पर यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाऐगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

4) **परीक्षण प्रभारः–** बोलीदाता से समान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे। परीक्षण में सामान निर्धारित स्पेस्फिकेशन अनुरूप नही होने पर स्वीकार नही किया जायेगा।

18. **माल की सप्लाई (Delivery of Googs):–**

1) सामग्री की तुरंत आवश्यकता है, अतः वे ही बोलीदाता बोली प्रस्तुत करे जिनके पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा निर्धारित सुपुर्दगी अवधि में आपूर्ति पूर्ण कर दी जायेगी।

2) बोलीदाता बोली में माल सप्लाई के लिए निर्धारित स्थान पर माल की सही दशा में सप्लाई करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा परिवहन की सामान्य स्थिति में माल में किसी प्रकार की क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्त्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जोन पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी।

3) माल सप्लाई के लिए निर्धारित स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किया जायेगा। यदि सप्लायर चाहे तो वह किसी भी प्रकार की हानि से बचने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा ही वहन किया जाएगा तथा कार्यालय से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नही की जाएगी। परिवहन के दौरान माल की किसी भी प्रकार की हानि के लिए यह कार्यालय उत्तरायी नही होगा तथा न ही बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार के नुकसान का भुगतान करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

4) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुडस ट्रांसपोर्ट के जरिये भाडा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर कार्य आदेश जारी होने के दिनांक से 20 दिवस के भितर गनतव्य स्थल (FOR) अधिनस्थ न्यायालय जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई है, पर सप्लाई किया जायेगा। अगर कार्यालय द्वारा भाडा एवं अन्य प्रभार आदि का भुगतान किया जाता है तो उसकी वसूली प्रदायकर्त्ता के बिल से की जायेगी।

5) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

19. **भुगतानः–**

1) बोली में सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नही होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नही दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

2) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेसिफिकेशन केअनुसार पाये जाने पर भुगतान कर दिया जावेगा । अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नही की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोल मानकर बोली निरस्त की जा सकेगी।

3) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में जी.एस.टी.बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियामानुसार भुगतान किया जायेगा। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश निर्देश के तहत वैधानिक कटोतिया कर भुगतान किया जावेगा।

4) विवादास्पद मदों के सबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

5) उन मामलों के सबंध में जिनमे परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगें तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगें।

6) परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्ध की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल से की जाएगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्ध किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (Liquidated damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

20. **सुपुर्दगी अवधि एवं परिनिर्धारित क्षय (Delivery Period and Liquidated damages) :–**

1) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह बोली आमंत्रण में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सप्लाई निर्धारित गनतव्य स्थान पर पूर्ण करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी।

2) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages) के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :–

a) विहित सुर्पदगी अवधि के लिए एक चौथाई (1/4) अवधि तक के विलंब के लिएः– 2.50 %

b) विहित सुर्पदगी अवधि की एक चौथाई (1/4) अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि (1/2) से अनधिक के लिएः– 5.00 %

c) विहित सुर्पदगी अवधि की आधी अवधि (1/2) अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई (3/4) से अनधिक के लिएः– 7.50 %

d) विहित सुर्पदगी अवधि की तीन चौथाई (3/4) अवधि से अधिक के विलम्ब के लिएः– 10.00 %

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

e) विलंब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।

f) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

3) यदि बोलीदाता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए चाहता हैं, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय दिया जायेगा न कि सप्लाई को पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जायेगा।

4) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पत्र हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

21. **बोली प्रतिभूति (Bid Security)** :–

1) बोली प्रतिभूति राशि बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता से बोली आमंत्रित सूचना में यथा विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी। इसके अभाव में बोली पर विचार नही किया जायेगा। उपापन कि विषय वस्तु के विनिर्माण के रूप में पंजीकृत राजस्थान के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम उघोगों की दशा में वित्त विभाग राज. की अधिसूचना संख्या प. 1(8) वित्त/सावितेनि/2011 दिनांक 19.11.2015 के खण्ड 8 के तहत Entrepreneurs Memorandum-II/Udyog Aadhaar Memorandum,/ Udyam Registration Certificate प्रस्तुत करने पर बोली प्रतिभूति प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी।

2) बोली प्रतिभूति राशि जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर जिला (District & Session Court, Jodhpur District) के नाम पर बैंकर्स चैंक/डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी जावेगी।

3) उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के सबंध में रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति में समायोजित नही की जायेगी। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

4) असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने की शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

5) राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उप नियम 43(12) के तहत सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोलीदाता वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

6) बोली प्रतिभूति, बोली को मूल या बढायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

7) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) निम्नलिखित मामलों में किया जा सकेगा:–

a) जब बोलीदाता बोली के खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याहृत (Withdraws) या उपान्तरित (Modifies) करता है।

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

b) जब बोलीदाता प्रदाय/संकर्म आदेश (Supply/Work order) देने के पश्चात् विनिर्दिश्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नही करता है।

c) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश (Supply/Work order) के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

d) जब बोलीदाता प्रदाय/संकर्म आदेश (Supply/Work order) दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिश्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जमा नही कराता है।

e) यदि बोलीदाता राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 और राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

22. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) :–**

1) सफल बोलीदाता से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी । कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति की राशि से कम की नही होगी । उपापन कि विषय वस्तु के विनिर्माण के रूप में पंजीकृत राजस्थान के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम उघोगों की दशा में वित्त विभाग राज. की अधिसूचना संख्या प. 1(8) वित्त/सावितेनि/2011 दिनांक 19.11.2015 के खण्ड 8 के तहत Entrepreneurs Memorandum-II/Udyog Aadhaar Memorandum/ Udyam Registration Certificate प्रस्तुत करने पर बोली प्रतिभूति प्रदत्त मात्रा का एक प्रतिशत होगी।

2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति किसी अनुसूचित बैंक का बैंकर चैक या बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार की जायेगी ।

3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

4) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज नही दिया जायेगा।

5) कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्याताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

6) सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोलीदाता वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

7) कार्य संपादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से समपहरण (Forfeiture of Performance Security) निम्नलिखित मामलों में किया जा सकेगाः–

a) जब संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तो का उल्लघन किया गया हो।

b) जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

c) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो।

d) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएँगा। इस सबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

23. **अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Additional Performance Security) :–**

1) कार्य सपांदन प्रतिभूति के अतिरिक्त असंतुलित बोली के मामले में सफल बोली लगाने वालों से अतिरिक्त कार्य संपादन प्रतिभूति भी ली जायेगी।
2) अतिरिक्त कार्य संपादन प्रतिभूति, असंतुलित बोली रकम के पचास प्रतिशत के बराबर होगी।
3) अतिरिक्त कार्य संपादन प्रतिभूति, करार के निष्पादन से पूर्व सफल बोली लगाने वाले द्वारा एक मुश्त जमा की जायेगी।
4) अतिरिक्त कार्य संपादन प्रतिभूति ई–ग्रास, मांगदेय ड्राफ्ट, बैकंर्स चैक, सरकारी प्रतिभूतियों या बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की जायेगी।
5) अतिरिक्त कार्य संपादन प्रतिभूति, संपूर्ण कार्य के समाधानप्रद रूप से पूरा हो जाने के पश्चात् संविदाकार को प्रतिदत्त की जायेगी।
6) यदि संविदाकार द्वारा नियम समय के भीतर कार्य पूर्ण नही किया जाता है, तो उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति समपहृत की जायेगी।

24. **करार का निष्पादन (Execution of agreement) :–**

1) कोई उपापन संविदा, ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।
2) सफल बोलीदाता को प्रदाय आदेश की रकम के 0.25 प्रतिशत (न्यूनतम रू 500 तथा अधिकतम रू 15000) के बराबर राशि के नॉन–जयूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र स्वंय के व्यय पर निष्पादन करना होगा।
3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्ध कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

25. **परिणाम में परिवर्तन का अधिकार (Right to Vary Quantity) :–**

1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
2) अतिरिक्त मदों के लिए आदेश, यदि मूल संविदा के मूल्य के 5 प्रतिशत तक, वित्त विभाग द्वारा यथा विहित शक्तियों की अनुसूची के अनुसार उपापन संस्था द्वारा दिये जा सकेगें। संविदाकार को उपापन संस्था द्वारा संदेय ऐसी अतिरिक्त

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

मदों का उचित बाजार मूल्य, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उपापन संस्था द्वारा अवधारित किया जायेगा।

3) अतिरिक्त मात्रा के लिए आदेश, संविदा में दी गयी शर्तो और दरों पर दिये जा सकेंगे और परिदान या पूर्णता कालावधि (Delivery or completion period) भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। अतिरिक्त मात्राओं के लिए आदेश की सीमा निम्नानुसार होंगी –

   a) वैयक्तिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और संकर्म की दशा में मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत

   b) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

4) आपवादिक परिस्थितियों में उपापन संस्था प्राशसनिक विभाग से पुनरीक्षित तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के अनुमोदन से मूल संकर्म आदेश में वैयक्तिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा का उपापन मूल संविदा के मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा में किया जा सकेगा।

26. **अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन** (Dividing quantities among more than one bidder at the time of award):– सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। उपापन संस्था द्वारा उपापन के परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

27. **बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग** (Breach of code of integrity by the bidderद्ध :– अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार सुमचित कार्रवाई कर सकेगी।

28. **अपील (Appeal) :–**

1) अधिनियम की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए बोलीदाता उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्रवाई या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियम या मागर्दशर्न के उपबंध के उल्लघंन के विरूद्व ऐसा उल्लघंन होने की दिनांक से दस दिन की अवधि के भीतर अपील दायर कर सकेगा।

2) परन्तु धारा 27 के तहत सफल संविदा का निर्णय घोषित होने के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दायर की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

3) परन्तु जहां उपापन संस्था तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहां वित्तीय बोली के मामले से सबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दायर की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य पायी गई है।

4) अपील अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में अपील को निपटाने में असफल रहता है या बोलीदाता अपील के आदेश से व्यथित है तो पारित आदेश की प्राप्ति दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर द्वितीय अपील दायर कर सकेगा। अपील दायर करने की दिनांक से अधिकतम 30 दिवस के भीतर इसे निस्तारित किया जायेगा। द्वितीय अपील में पारित आदेश अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

5) नियम 88 के तहत अपील निर्धारित प्रारूप में दायर की जायेगी। प्रथम अपील के लिए दो हजार पांच सौ रूपये तथा द्वितीय अपील के लिए दस हजार रूपये अपील फीस बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में अपील प्राधिकारी के नाम से जमा कराई जायेगी। अपील फीस अप्रतिदाय होगी।

29. यदि बोलीदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

30. उपापन समिति किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्ध करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

31. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

32. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तो के उल्लघंन के सबंध में कोई विवाद उत्पत्र होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवदा के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नही होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

33. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या निविदादाता) द्वारा जोधपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी।

**अध्यक्ष, क्रय समिति**
**जिला एवं सत्र न्यायालय**
**जोधपुर जिला**

प्रमाणित किया जाता हैं कि बोली प्रपत्र तथा प्रपत्र के सलंग्न सभी शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ कर समझ लिया गया हैं तथा इनके सभी पृष्ठों पर स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

**बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर**

# OFFICE OF THE DISTRICT AND SESSION JUDGE, JODHPUR DISTRCIT

## Detailed Technical Specification & Compliance Sheet

1. The Technical Compliance should compulsorily be in this sheet only, otherwise it should be assumed that bidder is ot able to offer technically desired product.
2. All the columns of this sheet should be filled compulsorily by the bidder. Merely mentioning "to refer catalogue or brochure or literature" will not be entertained.
3. The bidder shall be fully responsible for the information provided in this sheet. Any false statement shall render the breach of basic foundation of the contract.
4. If the bidder wants to offer more than one model or optional items then copy of this sheet may be used for each model or option.
5. Brochure of the quoted model must be enclosed.
6. Bidder should be Compliance in write Yes/No and any deviation from Technical Specification specify in coloum No 4 of this sheet with details.

## Supply & Installation of Desktop Computer & UPS & Single Function Laser Printer Single Function Auto Duplex, Wi-Fi

| Sr. No | Specification | To be filled by bidder | |
|---|---|---|---|
| | | Name Of MFG Trade Make/Model | Compliance (Yes/No) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Desktop Computer:-**<br>**(Preferable:- HP/Dell/Acer/Lenovo)**<br>1. Processor:- Intel i3, 4 Core or higher, with mimimum 3.0 GHz or higher (Base Frequencey), 10MB Cache or higher with 13th" or higher Generation and to be Certified by OEM.<br>2. Chipset:- Compatible Chipset<br>3. Operating System:- Pre-installed Latest Linux Version<br>4. Memory (RAM):- 8 GB, DDR4, 3200MHz or higher with 64 Expandability<br>5. Storage:- PCIe 4.0 M.2 NVme 512 SSD<br>6. Graphic:- Integrated HD Graphic Card or Higher<br>7. Ports:- Minimum 5 USB Ports with at least 2 USB 3.0 or higher ports, HDMI, C-Type, Display Ports, Audio Jack for headphone & microphone.<br>8. Display:- Minimum 19.5 inch HD+display with 1600 x 900 resolution same make as Desktop<br>9. Keyboard & Mouse: USB Keyboard & USB two button optical Mouse (Same make as Desktop) and Mouse Pad. | | |

**Signature of Bidder with Seal**

अध्यक्ष क्रय समिति
(A.D.J. Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 10. Network Interface- Integrated 10/100/1000 GB Ethernet, Integrated 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.0 or higher.<br>11. Accessories:- All necessary cables.<br>12. Expansion slots: Minimum two PCIe slots<br>13. Security:- Hardware based 2.0 Trusted Platform Module (TPM)<br>14. Model specific Certification:- BIS (for monitor only)<br>15. Compliance:- RoHs, ISO 9001<br>16. **Warranty:- Three years comprehensive on site OEM warranty** | | |
| 2 | **UPS 600VA:-**<br>**( Preferable:- Microtek, V-Guard, Zebronics, Intex, Luminous)**<br>1. UPS Capacity:- 600VA<br>2. Mode:- Line interactive<br>3. Protection:- Full Protection<br>4. Input Voltage:- Nominal 220-240VAC, Voltage range 140-300VAC, Frequence 50/60 Hz.<br>5. Output Voltage:- Range:230VACV ± 10%(AC Mode) and 230VAC ± 10%(Battery Mode), Frequence range: 50/60 HZ ± 1%(Battery Mode, Transfer time: 4-8ms, Wavefrom: Simulated Since Wave, Protections: Overload, Shor Circuit, Over Discharge and Over Charge.<br>6. Battery Type:- 12V 7AH X 1 Nos., Charging Current: 1A, Recharge Time: 4-6h to charge 90% (after complete discharge)<br>7. Power Factor:- 0.6 or higher<br>8.Back up time:-15 Minutes backup on full load of 0.6PF ( In built Batteries) | | |

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

**Signature of Bidder with Seal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 9. Indicators:- Mains On/On Battery/Low Battery/ Fault/ Overload.<br>10.Alarm:- On Battery/Fault Over Load, Low Battery<br>11.Plug and cable:- As per standard<br>12.Output Socket:- 3 or more with 3 Pin<br>13.Certiication:- BIS, ISO 9001<br>14.Environmental factors:- Operational Temperature: 0-40°C and Noise Level: < 40db<br>**One years comprehensive on site OEM warranty on UPS and Battery.** | | |
| **3** | **Laser Printer Single Function:- :-**<br>**( Preferable:- HP/Cannon/ Brother)**<br>1. Function: Print<br>2. Printing Technology:- Laser<br>3. Paper size:- A 4 or higher<br>4. Print Speed (Minimum) 25 PPM or higher<br>5. Print Resolution:- 600 x 600 dpi or higher<br>6. Duplex: Auto<br>7. Connectivity:- Hi-Speed USB 2.0 port, Wi-Fi,Ethernet<br>8. Duty Cycle(Monthly) :- 10000 Page or higher<br>9. Memoy:- 128 MB or higher<br>10.Input Paper tray capacity:- 150 Sheets or higher<br>11.Paper Output:- 100 Sheets or higher<br>12.Compatible OS:- Window and Linux<br>13.Cable/Accessories:- All the required cables,accessories<br>14.Software Media: Driver & Utility software from the same OEM<br>15.Model specific certifications:- BIS<br>16.Compliance:- RoHs, ISO 9001<br>**17.Warranty:- One years comprehensive on site OEM warranty.** | | |

**Signature of Bidder with Seal**

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

Note:-

1. All above items must be with warranty period including all spares & service as mentioned above.
2. Brochure & Catalog of Make and Model quoted should be attached.
3. The items must be orginal Popular Branded as per specification. If any deviation/Local assembled product etc. found, legal action will be taken.
4. Bidder has to submit the product for demonstration on your expenses and risk before the Department Purchase Committee as and when desired at District & Session Court, Jodhpur District within 03 days from the date of intimation via whatsApp e-mail/phone. The Committee wll inspect the sample physically and quality parameter, if any sample not fulfills this parameter, it will be declared disqualified. If any bidder not submit sample as desired, the same will also be declared disqualified.

**Signature of Bidder with Seal**

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

## Annexure A :- Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person participating in a procurement process shall :-

A. not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
B. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
C. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
D. not misuse any information shared between the Procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
E. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
F. not obstruct any investigation or audit o a procurement process;
G. disclose conflict of interest, if any; and
H. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

### Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more Parties in a bidding process if, including but not limited to:-

A. have controlling partners/shareholders in common; or
B. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
C. have the same legal representative for purposes of the bid; or
D. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
E. the Bidder participates in more than one bid in the same bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same sub-contractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
F. A bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
G. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

**Signature of the Bidder with Seal**

## Annexure B:- Self Declaration by the Bidder regarding Qualifications

To,
The Chairman,
Purchases Committee,
District & Session Court, Jodhpur District.

Sub:- Procurement of Desktop Comuter, Printer, Multi Function Photocopier and Air conditioner at **CJ and JM Court Shergarh.**

Ref:- Notice Inviting Bids No.....Dated.....
(UBN No.....)

Sir,

I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition;

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

**Signature of the Bidder with Rubber Seal**

## Annexur C:- Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is .....

The designation and address of the Second Appellate Authority is .....

1. **Filing an appeal**

   If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

   Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

   Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appeal Authority, as the case may be.

4. **Appeal not to lie in certain cases**

   No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

   (a) Determination of need of procurement;
   (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
   (c) The decision of whether or not to enter into negotiation;
   (d) Cancellation of a procurement process;
   (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

5. **Form of Appeal**

   a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed from alorg with as many copies as there are respondents in the appeal.
   b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

   Every appeal may be presented to First Appellate Authority or second Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

**6. Fee for filing appeal**

a) Fees for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be, non-refundable.

b) The fee shall be paid in the form of band demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

**7. Procedure for disposal of appeal**

a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

b) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter

c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

**Signature of the Bidder with Seal**

**FORM No. 1**
**[See rule 83]**
**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012**

Appeal No .....of .....
Before the .....(First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Office address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   .....
   .....
   ..... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
   .....
   .....
   .....

Date .....

**Appellant's Signature**
**Signature of the Bidder with Rubber Seal**

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

## Annexure D :- Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetic errors :-**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:-

a. if there if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is btained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the bid Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

b. if there if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to clause (a) and (b) above

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities :-**

(1) If the procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding documents due to change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the bidding documents.

(2) Orders for extra items may be placed by the procuring entity in accordance with the Schedule of Powers as prescribed by the Finance Department, upto 5% of the value of the original contract, if allowed in the bidding documents. The fair market value of such extra items payable by the procuring entity to the contractor shall be determined by the procuring entity in accordance with guidelines prescribed by the administrative department concerned.

(3) Orders for additional quantities may be placed, if allowed inthe bidding documents, on the rates and conditions given inthe contract and the original order was given after inviting open competitive bids.Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of orders for additional quantities shall be as under :-

(a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and

(b) 50% of the value of goods or services of the original contract.

Provided that in exceptional circumstances and without changing the scope of work envisaged under the contract, a procuring entity may procure additional quantities beyond 50% of the quantity of the individual items as provided in the

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

original work order with prior approval of the Admministrative Department concerned as follows :-

(i) the procuring entity shall obtain prior approval for revised requirements from the competent authority for reasons to be recorded in writing. Wherever necessary, due to the quantum of orders for additional quantities, the procuring entity shall obtain prior and revised technical, financial and administrative sanctions from the competent authorities;

(ii) that the additional quantities so procured shall be part and parcel of the work being executed;

(iii) that the limit of 50% of the value of original contract shall not be exceeded in any case.

3. **Dividing quantities among more than one bidder at the time of award ( In case of Procurement of Goods):-**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted.

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

**Signature of the Bidder with Seal**

Annexur :- E

## Self Declaration by the Bidder regarding Compliance Terms and Condition

In relation to my/our Bid submitted to .....for procurement of.....in response to their Notice Inviting Bids No.....Dated..... .I/we hereby declare that:

1. I/ we have thoroughly read the tender/ bidding document and by signing this certificate, we hereby submit our token of acceptance to all the tender terms & conditions without any deviations. I/We also confirm acceptance of the all Terms and Conditions of tender document.
2. I/We hereby confirm unconditional acceptance and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Tender/ Bid document including technical particulars, detailed technical specifications of the product/services, special terms & conditions and general terms & conditions wherever indicated, offer validity, terms of delivery without any deviations whatsoever.
3. I/We certified that tendering Compay/Firm/Individual has not been banned/ debarred /blacklist by any Government Department of the State/Government of Inida/PSU/UT/Local Bodies/Universities/Other Insitute from business dealings.
4. I/We certified that presently our Company/Firm/Individual at the time of bidding, is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/ Central government/ PSU/ UT Local Bodies/Universities/Other Insitute from business dealings.
5. I/We do not have any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years does not have any debarment by any other procuring entity is not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer.
6. I/We do not have its business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
7. I/We certified that I/We will comply with the code of integrity as specified in the bidding document and RTTP Act and Rules
8. This is to certify that, the specifications mentioned in the Bid Documents, I/ We shall supply/services if I/ We am/ are awarded with the work, are in conformity with the minimum technical specifications of the bidding document and that there are no deviations of any kind from the requirement specifications.

I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed. If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our security may be forfeited in full and the bid if any to the extent accepted, may be cancelled.

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

**Signature of the Bidder with Seal**

Annexure :- F

## Price Charging Certificate/ Declaration

I/We certifty that:-

1. The rates quoted against the Bid are competitive and without adopting any unfair / unethical means in including cartelization.
2. The rates have quoted is inclusive of all the cost factors involved in the end-to-end implementation and execution of the work, to meet the desired Standards set out in the Tender/ bidding Document.
3. The rate offered in Financial Bid is reasonable and justified and we are not quoted lower rates to other department on condition of the tender and contract for the same item/specifications.
4. The rates quoted by us in this bid for the supply of bid itmes are not higher than the rates charged by us from any other Government Department, PSU, Semi-Government Organization, or any other institution during the last 6 months from submission of bids.
5. Iif it is found at any stage that the rates charged by us are higher than those charged from any other pary, the Department reserves the right to recover the excess amont paid alongh with penalty.

**Signature of the Bidder with Seal**

Annexure :- G

## G.S.T. Certificate/ Declaration

I/We certifty that:-

1. M/S---------- is registered as dealer in the (State or Union Territory) under the GST No..... where in their Billing address is located for the purpose of GST.
2. The Goods and Services Tax (GST) will not to be charged more than what is payable under the provision of the relevant Act or the Rules made there under.
3. The goods on which GST has been charged have not been exempted under the GST Act or the rules made there under and the charges on account of GST on these goods/services are correct under the provisions of that Act or the Rules made there under.

अतिरिक्त, कय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

**Signature of the Bidder with Seal**

Annexure :- H

## Self Declaration Regarding Black Listing & Debarred

I/we certify that:-

1. Bidder is not blacklisted or debarred by the Central Government/any State Government/any Union Territory/State Agency/ Corporation/ Nigam/ Public Sector Enterprises/Autonmous Bodies as on date of bid submission.
2. Bidder is not debarred from the State Government or this Procuring Agency for any ineligibility under Section 46 of the Act and Rules 39 of the Rules.

   If bidder has been debarred earlier but the period is over, you must disclose it. Non-disclosure is treated as misrepresentation and can lead to blacklisting.

   If all above declarations/certificates/undertakings are found to be incorrect, then without prejudice to any other action that may be taken against us, the tender if and to the extent accepted may be cancelled/rejected and the amount of Earnest Money/Security Money may be forfeited.

**Signature of the Bidder with Seal**

अध्यक्ष, वाद समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

## Office of the District & Session Court, Jodhpur District
## DOCUMENT CHECK LIST

### Technical Envelope "A"

| Sr. No. | Particular | YES / NO |
|---|---|---|
| 1 | DD/BC of Bid Fee in Favour of District & Session Jude, Jodhpur District | |
| 2 | DD/BC of Bid Security in Favour of District & Session Jude, Jodhpur District | |
| 3 | Proprietorship Frim:- Certificate of Registered in Rajasthan Shops and Commerical Establishments ACT 1958 | |
| | Partnership Firm:- Certificate of Registered in The Indian Partnership Act, 1932 and Registered Parternship Deed | |
| | Company:- Certificate of Registered in The Indian Company Act, 1956 | |
| 4 | Self Attested GST Registrication Certificate | |
| 5 | Self Attested PAN Card | |
| 6 | Bid Form Signed & Seal | |
| 7 | General Terms & Condtions. SR 16 Signed & Seal | |
| 8 | Technical Specification with Compliacne Sheet signed & Seal | |
| 9 | Annexure A,B,C & D of Transparency in Public procurement Act signed & Seal | |
| 10 | Annexure E Self Declaration by the Bidder regarding Compliance Terms and Condition of Bid | |
| 11 | Annexure F:- Price Charging Certificate/Declaration | |
| 12 | Annexure G:- G.S.T. Certficate/Declaration | |
| 13 | Annexure H:- Self Declaration Black Listing & Debarred | |
| 14 | Brochure & Catalog of Make and Model of the product. | |

### Financial Envelope "B"

| | | |
|---|---|---|
| 15 | Finacial Bid signed & Seal | |

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

**Signature of the Bidder with Seal**

## OFFICE OF THE DISTRICT AND SESSION JUDGE, JODHPUR DISTRCIT

### FINANCIAL BID

| Sr. No. | Name of article as per Detail Technical Specification | Total Estimated Amount (Including All Taxes and Freight etc) | Qty. | Rate Quated Price Per Unit in Indian Rs. (Including All Taxes and Freight etc) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Price per Set in Figure | Price per Per Set Words |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Desktop Computer & UPS & Laser Printer Single Function | 2.80 Lac | 4 Set | | |

1. No additional Paper should be attached with this Financial Bid. If this is done by bidder, his tender will be rejected.
2. I/We have gone through the terms & conditions as stipulated in the bid enquiry document and confirm to accept and abide the same.
3. No other charges would be payble by the Department.
4. The delivery & installation of the items will have to be made at court campus which mentioned in bid document. No transportation/ carriage charges will be provided for the same.
5. The rate quoted should be firm and final and written in ink or typed against each item and should in no case be overwritten. Any overwriting/modification of any type will lead to rejection of the bid.
6. Rates are to be quoted item-wise otherwise bid will be treated as unresponsive.

अध्यक्ष, क्रय समिति
(ADJ-Jodhpur Distt.)
जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर

**Signature of the Bidder with Seal**